

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

प्रकरण क्रमांक 903-तीन/2014 निगरानी - विरुद्ध आदेश दिनांक 2-3-12
पारित द्वारा तहसीलदार, गुढ़ जिला रीवा - प्रकरण क्रमांक 17 अ 12/
2011-12

राममणि पुत्र स्व.हनुमान प्रसाद द्विवेदी
ग्राम गेरुआर तहसील गुढ़ जिला रीवा
विरुद्ध

---आवेदक

सरोज पत्नि स्व. रामहर्ष द्विवेदी
ग्राम गेरुआर तहसील गुढ़ जिला रीवा

---अनावेदक

(आवेदक के अभिभाषक श्री डी0पी0मिश्रा)

(अनावेदक के अभिभाषक श्री अरुण कुमार गौतम)

आ दे श

(आज दिनांक २९-०१-2017 को पारित)

यह निगरानी तहसीलदार, गुढ़ जिला रीवा - प्रकरण क्रमांक 17 अ 12/
2011-12 में पारित आदेश दिनांक 02-03-2012 के विरुद्ध मध्य प्रदेश
भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारोश यह है कि अनावेदक क्रं-1 के आवेदन पर उनके
स्वामित्व की मौजा गेरुआर स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 317/1, 318/2, 324/2
का राजस्व निरीक्षक एवं हलका पटवारी ने मेढ़िया कास्तकारों को सूचना देते हुये
दिनांक 17-6-10 को सीमांकन किया है, जिस पर मेढ़िया कास्तकार आवेदक


ने तहसीलदार के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत की है । तहसीलदार ने आवेदक की आपत्ति निरस्त करते हुये प्रकरण क्रमांक 17 अ-12/2011-12 में पारित सीमांकन आदेश दिनांक 2-3-12 से सीमांकन को अंतिमता प्रदान की है जिसके विरुद्ध यह निगरानी है।

3/ आवेदक एवं अनावेदक के अभिभाषक के पूर्व पेशी पर तर्क सुने जा चुके हैं। अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ आवेदक एवं अनावेदक के अभिभाषक के तर्कों पर विचार करने एवं अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि अनावेदक क्रं-1 के आवेदन पर उनके स्वामित्व की मौजा गेरुआर स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 317/1, 318/2, 324/2 का राजस्व निरीक्षक एवं हलका पटवारी ने मेढिया कास्तकारों को सूचना देते हुये दिनांक 17-6-10 को सीमांकन किया है, जिस पर मेढिया कास्तकार आवेदक ने तहसीलदार के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत की है । तहसीलदार ने आवेदक की आपत्ति निरस्त करते हुये प्रकरण क्रमांक 17 अ-12/2011-12 में पारित सीमांकन आदेश दिनांक 2-3-12 से सीमांकन को अंतिमता प्रदान की है । विचार योग्य है कि जब आवेदक को तहसीलदार के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत कर पक्ष रखने का समुचित अवसर मिल चुका है तब उनके द्वारा राजस्व मण्डल के समक्ष यह आपत्ति करना कि सीमांकन गलत करते हुये उनकी भूमि को प्रभावित किया गया है, माने जाने

योग्य नहीं है। यदि आवेदकगण किये गये सीमांकन से सन्तुष्ट नहीं है तब वह अपनी भूमि का सीमांकन राजस्व निरीक्षक अथवा अधीक्षक भू अभिलेख से कराने हेतु स्वतंत्र है जिसके कारण अनावेदक की भूमि के विधिवत् हुये सीमांकन में हस्तक्षेप करना न्यायोचित नहीं है।

3/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन पाये जाने से निरस्त की जाती है एवं तहसीलदार, गुढ जिला रीवा द्वारा प्रकरण क्रमांक 17 अ-12/2011-12 में पारित सीमांकन आदेश दिनांक 2-3-12 यथावत् रखा जाता है।



(एस0एस0अली)

सदस्य

राजस्व मण्डल

मध्य प्रदेश ग्वालियर

